

थाना मानपुर

जिला इन्दौर

अपराध क्रमांक- 111/2026

धारा - 49,112(2) बीएनएस व 3,4 जुआ एक्ट

नाम शिकायतकर्ता - शासन तर्फे पुलिस मानपुर द्वारा उनि. मिथुन ओसारी थाना मानपुर जिला इन्दौर

आरोपी -1 अलिया उर्फ अलाउद्दीन पिता पीरमोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी ग्राम बाजार चौक सिंघाना थाना मनावर जिला धार मो.न. 9993106283

2. विजय पिता राजमल मोदी जाति जैन उम्र 55 साल नि. चौपाटी रोड सदर बाजार कानवन थाना कानवन जिला धार मो.न. 9770251533

3. आसीक पिता चुन्नु खान जाति मुसलमान उम्र 48 साल निवासी मोमीनपुरा महेश्वर थाना महेश्वर जिला खरगोन मो.न. 8435368119

4. ओमप्रकाश पिता जगदीश राठौड जाति तेली उम्र 48 साल निवासी 67 श्रीकृष्ण एवेन्यु फेस 02 लिम्बोदी थाना तेजाजी नगर इन्दौर मो.न. 7049494119

5. दीनदयाल पिता बलराम जयसवाल जाति कलाल उम्र 44 निवासी रविदास मार्ग बदनावर थाना बदनावर जिला धार मो.न. 7770977881

6. राहुल पिता प्रदीप कुमार जैन जाति जैन उम्र 34 साल नि. झण्डा सेरी शांति निकेतन थाना बडनगर जिला उज्जैन मो.न. 9826757002

7. राहुल पिता सरदारमल औरा जाति जैन उम्र 40 साल निवासी 22 शिवाजी मार्ग थाना बडनगर जिला उज्जैन मो.न. 9300006515

8. स्वपनिल पिता सुरेश डुंगरवाल जाति जैन उम्र 42 निवासी गायत्री कालोनी थाना कुक्षी जिला धार मो.न. 9893556333

9. नीतेश पिता हुकुमचंद बंसल जाति अग्रवाल उम्र 51 साल निवासी बस स्टैण्ड अंजड थाना अंजड जिला बडवानी मो.न. 9893342222

10. नवीन पिता लक्ष्मण पाटीदार जाति पाटीदार उम्र 48 निवासी शिवश्रद्धा पार्क स्ट्रीट नम्बर 02 नीयर लालपार्क डेबर रोड थाना भक्ति नगर राजकोट राज्य गुजरात हा.मु. जवाहर मार्ग सरकारी अस्पताल के सामने जोबट थाना जोबट जिला अलिराजपुर मो.न. 9630507251

11. मनीष पिता बसंतीलाल वाणी जाति वाणी उम्र 44 साल नि. 31 विनोवा मार्ग जोबट थाना जोबट जिला अलिराजपुर मो.न. 9425485760

12. अभिषेक पिता नंदकिशोर सरसोदे जाति धोबी उम्र 33 साल निवासी गणेश घाट खारी बावड़ी थाना बडनगर जिला उज्जैन मो.न. 8109556350

13. अखिलेश पिता बालकृष्ण झंवर जाति माहेश्वरी उम्र 55 साल निवासी सदर बाजार थाना बाग जिला धार मो.न. 9425047270

14. धीरज पिता गजानंद कर्मा जति सुतार उम्र 43 साल निवासी नहर कालोनी शाहपुरा गोगावा थाना गोगावा जिला खरगोन मो.न. 7000845465

15. राकेश पिता कालूजी चौधरी जाति भील उम्र 49 साल निवासी ग्राम रातीमाली थाना झाबुआ कोतवाली जिला झाबुआ मो.न. 8120049516

16. बृजसिंह पिता हिन्दुसिंह यादव जाति यादव उम्र 48 साल निवासी 01 बीएनपी मेन गेट थाना बीएनपी जिला देवास मो.न. 9424089444

17. रवि पिता शिवनारायण चौधरी जाति खाति उम्र 45 साल निवासी ग्राम सिरौलीया थाना बारौठा जिला देवास मो.न. 9752887448

18. सागर पिता गोपाल सेन जाति नाई उम्र 28 साल निवासी ग्राम अमोदिया थाना राजगड जिला धार
मो.न. 7974177577

फरार आरोपी -1. जगदीश राठौड उर्फ अंकल उर्फ कुबडा निवासी राजगढ जिला धार

2. गोपाल निवासी राधारुकमणी गार्डन के पास लिम्बोदी इन्दौर

3. पप्पु धोबी निवासी राजगढ

4. आशीष जैन निवासी बखतगड़ बदनावर जिला धार

5. फार्म हाउस का केयर टेकर रंजीत जाट निवासी रामपुरिया मानपुर

घटना स्थल – कोठी निवास फार्म हाउस ग्राम आवलीपुरा थाना मानपुर जिला इन्दौर

घटना दिनांक व समय----- 11.03.2026 के करीबन 00.05 से 01.00 बजे

कायमी दिनांक व समय --11.03.2026 के 08.24 बजे

कायमीकर्ता – उनि. मिथुन ओसारी थाना मानपुर जिला इन्दौर

अनुसंधान कर्ता – निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह हिहोर थाना मानपुर जिला इन्दौर

जप्त मश्रूका- ताश के 52 पत्ते एवं 771471 रु कुल नगदी रकम तथा फड से 596500 रु कुल जुमला राशी 1367971 रू. व उक्त आरोपीगणों के कब्जे से 25 मोबाईल तथा फरार आरोपीयो के 5 मोबाईल कुल 30 मोबाईल किमती करीबन 5 लाख रु. व 10 नई ताश की गड्डीया तथा मौके पर वाहन कार स्वीफ्ट डीजायर क्र MP09WD1950 एवं हुन्डई ओरा क्र. MP09AP0487 दोनो किमती करीबन 10 लाख रु. कुल मश्रूका 2867971 रुपये ।

विवरण – मै थाना मानपुर पर उनि के पद पर पदस्थ हूँ । दिनाँक 10/03/2026 को थाना प्रभारी महोदय के हमराह इलाका भ्रमण मे रवाना होकर इलाका भ्रमण करते हुये ग्राम रामपुरिया पहुचे जहा मुखबीर द्वारा थाना प्रभारी महोदय को सूचना मिली कि कोठी निवास फार्म हाउस ग्राम आवलीपुरा मे कुछ व्यक्ति अवैध रूप से जुआ खेल रहे है । थाना प्रभारी महोदय द्वारा सूचना से वरिष्ठ अधिकारीयो को अवगत कराया तथा श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय महु से उक्त फार्म हाउस पर दबीश देने हेतु सर्च वारण्ट हेतु आर. 4004 सुशांत को श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय महु के यहा भेजकर प्राप्त किया तथा थाना मोबाईल मे लगे सउनि प्रेमसिंह डामोर, हाईवे मोबाईल मे लगे सैनिक 574 हरिसिंह ,डायल 112 मे लगे आर. 3124 विजय एवं मानपुर कस्बे मे सैनिक 165 बोदर व सैनिक 183 श्रीराम एवं थाना बड़गौदा से बल को मौके पर तलब किया तथा पंचान नारायण पिता गोविंद बैरागी उम्र 24 साल निवासी ग्राम कैलोद थाना बड़गौदा जिला इन्दौर तथा जावेद पिता हफीज खान उम्र 52 साल निवासी ग्राम केसरबर्डी थाना बड़गौदा जिला इन्दौर को तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराया तथा बल व पंचान को साथ लेकर कोठी निवास फार्म हाउस ग्राम आवलीपुरा पहुचे जहा मेन गेट पर बाहर से ताला लगा होकर अंदर से कुछ लोगो की आवाजे आ रही थी जो गेट के साईड से होते हुये हमराह बल के कोठी निवास फार्म हाउस कि बाउण्ड्री मे घुसकर पेडो की आड से छुपकर देखा जो फार्म हाउस के बरामदे मे वहा लगी लाईट के उजाले मे कुछ व्यक्ति अवैध रूप से ताशपत्तो से रुपये पैसो का हारजीत का दाव लगाकर जुआ खेलते दिखे जो स्वयं देखा और हम स्टॉफ तथा पंचानो को दिखाया गया और घेरांबंदी कर रेड किया जो 1 अलिया उर्फ अलाउद्दीन पिता पीरमोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी ग्राम बाजार चौक सिंघाना थाना मनावर जिला धार ,2. विजय पिता राजमल मोदी जाति जैन उम्र 55 साल नि. चौपाटी रोड सदर बाजार कानवन थाना कानवन जिला धार , 3. आसीक पिता चुन्नु खान जाति मुसलमान उम्र 48 साल निवासी मोमीनपुरा महेश्वर थाना महेश्वर जिला खरगोन, 4. ओमप्रकाश पिता जगदीश राठौड जाति तेली उम्र 48 साल निवासी 67 श्रीकृष्ण एवेन्यु फेस 02 लिम्बोदी थाना तेजाजी

नगर इन्दौर, 5. दीनदयाल पिता बलराम जयसवाल जाति कलाल उम्र 44 निवासी रविदास मार्ग बदनावर थाना बदनावर जिला धार, 6. राहुल पिता प्रदीप कुमार जैन जाति जैन उम्र 34 साल नि. झण्डा सेरी शांति निकेतन थाना बड़नगर जिला उज्जैन 7. राहुल पिता सरदारमल औरा जाति जैन उम्र 40 साल निवासी 22 शिवाजी मार्ग थाना बड़नगर जिला उज्जैन, 8. स्वपनिल पिता सुरेश दुंगरवाल जाति जैन उम्र 42 निवासी गायत्री कालोनी थाना कुक्षी जिला धार, 9. नीतेश पिता हुकुमचंद बंसल जाति अग्रवाल उम्र 51 साल निवासी बस स्टैण्ड अंजड थाना अंजड जिला बडवानी, 10. नवीन पिता लक्ष्मण पाटीदार जाति पाटीदार उम्र 48 निवासी शिवश्रद्धा पार्क स्ट्रीट नम्बर 02 नीयर लालपार्क डेबर रोड थाना भक्ति नगर राजकोट राज्य गुजरात हा.मु. जवाहर मार्ग सरकारी अस्पताल के सामने जोबट थाना जोबट जिला अलिराजपुर, 11 मनीष पिता बसंतीलाल वाणी जाति वाणी उम्र 44 साल नि. 31 विनोवा मार्ग जोबट थाना जोबट जिला अलीराजपुर, 12. अभिषेक पिता नंदकिशोर सरसोदे जाति धोबी उम्र 33 साल निवासी गणेश घाट खारी बावड़ी थाना बड़नगर जिला उज्जैन, 13. अखिलेश पिता बालकृष्ण झंवर जाति माहेश्वरी उम्र 55 साल निवासी सदर बाजार थाना बाग जिला धार, 14. धीरज पिता गजानंद कर्मा जति सुतार उम्र 43 साल निवासी नहर कालोनी शाहपुरा गोगावा थाना गोगावा जिला खरगोन, 15. राकेश पिता कालूजी चौधरी जाति भील उम्र 49 साल निवासी ग्राम रातीमाली थाना झाबुआ कोतवाली जिला झाबुआ, 16. बृजसिंह पिता हिन्दुसिंह यादव जाति यादव उम्र 48 साल निवासी 01 बीएनपी मेन गेट थाना बीएनपी जिला देवास, 17. रवि पिता शिवनारायण चौधरी जाति खाति उम्र 45 साल निवासी ग्राम सिरौलीया थाना बारौठा जिला देवास, 18. सागर पिता गोपाल सेन जाति नाई उम्र 28 साल निवासी ग्राम अमोदिया थाना राजगड जिला धार को जुआं खेलते पकडा गया एव कुछ व्यक्ति मौके से पुलिस को चकमा देकर भाग गये पकडे गये व्यक्तियों के कब्जे से ताश के 52 पत्ते एवं 771471 रु कुल नगदी रकम तथा फड से 596500 रु कुल जुमला राशी 1367971 रू. व उक्त आरोपीगणों के कब्जे से 25 मोबाईल तथा फरार आरोपीयो के 5 मोबाईल कुल 30 मोबाईल किमती करीबन 5 लाख रु. व 10 नई ताश की गड्डीया तथा मौके पर वाहन कार स्वीफ्ट डीजायर क्र MP09WD1950 एवं हुन्डई ओरा क्र. MP09AP0487 दोनो किमती करीबन 10 लाख रु. कुल मश्रुका 2867971 रुपये का होना पाया गया । उक्त आरोपीयो से फार्म हाउस के अंदर जुआ खेलने के संबंध मे वैध लायसेन्स का पुछते नही होना बताये। आरोपीयो का कृत्य जुर्म धारा 3,4 जुआ एक्ट का पाये जाने से समक्ष गवाहान मुताबिक जप्ती पत्र के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया मौके पर जप्ती कार्यवाही की विडीयो ग्राफी ईसाक्ष्य एप के माध्यम से की गई । आरोपीगण से भागे गये व्यक्तियों के संबंध मे पुछताछ करते भागने वालो का नाम 1. जगदीश राठौड उर्फ अंकल उर्फ कुबडा निवासी राजगढ जिला धार 2. गोपाल निवासी राधारुकमणी गार्डन के पास लिम्बोदी इन्दौर 3. पप्पु धोबी निवासी राजगढ 4. आशीष जैन निवासी बखतगड़ बदनावर जिला धार तथा 5. फार्म हाउस का केयर टेकर रंजीत जाट निवासी रामपुरिया मानपुर के होना बताये तथा जगदीश राठौड उर्फ अंकल उर्फ कुबडा गोपाल पप्पु धोबी एवं केयरटेकर रंजीत जाट के द्वारा संगठीत रुप से जुआ खेलवाना बताया जो आदतन जुआ खेलने व खेलाने के आदी है। फार्म के मालिक के संबंध मे कोई जानकारी नही होना बताया । जो आरोपीगणों का कृत्य धारा 49 ,112 बीएनएस एवं 3,4 जुआ एक्ट का का पाया गया । आरोपीगण का जुर्म जमानती होने एवं 07 साल से कम सजा का होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निर्देश के पालन मे आरोपीगण को धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटीस तामील कराया गया । बाद तामीली के सभी आरोपीयो को मौके से रुखसत किया गया । बाद जप्त शुदा मश्रुका के वापस थाना आये जप्त शुदा मश्रुका जमा मालखाना किया गया । वापसी पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।